भारत सरकार

भारी उद्योग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 236

19 जुलाई, 2022 को उत्तर के लिए नियत

"इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए अवसंरचना"

236. श्री जी. एम. सिद्देश्वर:

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के बड़े पैमाने पर उपयोग के लिए आवश्यक अवसंरचना में सुधार करने में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ख) भारत में हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों का तीव्र अंगीकरण एवं विनिर्माण (फेम इंडिया) योजना के अंतर्गत आवंटित 10,000 करोड़ रुपए के बजट में से कितनी बजट राशि का उपयोग किया गया है;

(ग) चरण-II के अंतर्गत सार्वजनिक और साझा परिवहन के विद्युतीकरण के संबंध में कितनी प्रगति हुई है;

(घ) इस योजना की सफलता में कौन-सी बाधाएं चुनौतियां बन रही हैं और इनका समाधान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) विगत तीन वर्षों के दौरान देश में विनिर्मित और खरीदे गए गैर-विद्युत चालित वाहनों की तुलना में विद्युत चालित वाहनों का वर्तमान प्रतिशत कितना है?

उत्तर

भारी उद्योग राज्य मंत्री

(श्री कृष्ण पाल गुर्जर)

(क): इलेक्ट्रिक वाहनों के बड़े पैमाने पर उपयोग के लिए अवसंरचना में आवश्यक सुधार के प्रयोजन से, सरकार ने 2015 में भारत में इलेक्ट्रिक एवं हाइब्रिड वाहनों का तीव्र अंगीकरण एवं विनिर्माण (फेम इंडिया) स्कीम नामक एक स्कीम तैयार की। वर्तमान में, फेम इंडिया चरण-II स्कीम 01 अप्रैल, 2019 से 05 वर्ष की अवधि के लिए लागू की जा रही है। फेम-इंडिया स्कीम चरण-II के तहत चार्जिंग अवसंरचना के विकास के लिए 1000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इस मंत्रालय ने 25 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 68 शहरों में 2,877 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशनों को मंजूरी दी है। इसके अतिरिक्त, फेम इंडिया स्कीम के दूसरे चरण के तहत 9

एक्सप्रेसवे और 16 राजमार्गों के किनारे 1576 चार्जिंग स्टेशनों की भी मंजूरी दी गई है। फेम इंडिया स्कीम के पहले चरण के तहत 01.07.2022 तक 479 चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जा चुके हैं।

देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए आवश्यक चार्जिंग अवसंरचना में सुधार के उद्देश्य से सरकार द्वारा निम्नलिखित पहल भी की गई हैं-

(i) विद्युत मंत्रालय ने कार्यालयों और आवासों में निजी चार्जिंग की अनुमति देते हुए चार्जिंग अवसंरचना मानकों पर एक अधिसूचना जारी की है।

(ii) आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने निजी और वाणिज्यिक भवनों में चार्जिंग स्टेशन और बुनियादी ढांचे की स्थापना के लिए मॉडल बिल्डिंग बायलॉज-2016 में संशोधन किया है।

(ख) और (ग): 30 जून, 2022 तक फेम इंडिया स्कीम चरण- II के तहत बजट उपयोग 2099 करोड़ रूपये [लगभग] था। फेम इंडिया स्कीम के दूसरे चरण के तहत 15.07.2022 तक 4.7 लाख इलेक्ट्रिक वाहनों को मांग प्रोत्साहन के रूप में समर्थन दिया गया है। इसके अलावा, भारी उद्योग मंत्रालय ने इस स्कीम के तहत 26 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में इंट्रासिटी और इंटरसिटी संचालन के लिए 65 शहरों/एसटीयू/सीटीयू/राज्य सरकार की संस्थाओं के लिए 6315 ई-बसों को मंजूरी दी है।

(घ): इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के व्यापक अंगीकरण में आने वाली चुनौतियां मुख्य रूप से संबंधित आंतरिक दहन इंजन (आईसीई) की तुलना में इलेक्ट्रिक वाहन की उच्च अग्रिम लागत और इलेक्ट्रिक वाहनों की रेंज के बारे में ग्राहकों की चिंता से संबंधित रही हैं।

देश में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के अंगीकरण में आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए भारत सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं: -

i. 11 जून, 2021 से फेम इंडिया स्कीम के दूसरे चरण के तहत इलेक्ट्रिक दुपहिया वाहनों के लिए मांग प्रोत्साहन को वाहन लागत सीमा के 20% से बढ़ाकर 40% अर्थात 10,000 रुपये/किलोवाट घंटा से बढ़ाकर 15,000 रुपये/किलोवाट घंटे कर दिया गया है। इस प्रकार, इलेक्ट्रिक दुपहिया वाहनों की लागत आईसीई दुपहिया वाहनों के बराबर हो गई है। साथ ही, 25 जून, 2021 को फेम इंडिया स्कीम के दूसरे चरण को 2 वर्ष की अवधि अर्थात 31 मार्च 2024 तक के लिए बढ़ा दिया गया है।

ii. सरकार ने देश में बैटरी की कीमतों को कम करने के लिए देश में उन्नत रसायन सेल (एसीसी) के विनिर्माण हेतु उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम को दिनांक 12 मई,

2021 को मंजूरी दी है। बैटरी की कीमतों में कमी से इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमत में कमी आएगी।

iii. इलेक्ट्रिक वाहनों को ऑटोमोबिल और ऑटो घटक के लिए उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम के दायरे में लाया गया है जिसे 25,938 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय के साथ पांच वर्ष की अवधि के लिए 15 सितंबर, 2021 को अनुमोदित किया गया है।

iv. इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दी गई है; इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जरों/चार्जिंग स्टेशनों पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% कर दी गई है।

v. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने घोषणा की है कि बैटरी से चलने वाले वाहनों को हरे रंग की लाइसेंस प्लेट दी जाएगी और उन्हें परमिट लेने की आवश्यकता नहीं होगी।

vi. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी कर राज्यों को इलेक्ट्रिक वाहनों पर पथकर माफ करने की सलाह दी है जिससे इलेक्ट्रिक वाहन की शुरुआती लागत को कम करने में मदद मिलेगी।

(ङ.): महोदय, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से प्राप्त सूचनानुसार, इलेक्ट्रिक की तुलना में पंजीकृत गैर-इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रतिशत विवरण निम्नानुसार है:

क्र.सं	**वर्ष**	**इलेक्ट्रिक**	**गैर-इलेक्ट्रिक**	**इलेक्ट्रिक की तुलना में से गैर-इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रतिशत**	**कुल योग**
1	2019	1,61,313	2,13,02,689	0.757	2,14,64,002
2	2020	1,19,651	1,62,58,820	0.736	1,63,78,471
3	2021	3,11,423	1,64,96,401	1.888	1,68,07,824
4	2022 (14-07-2022 तक की स्थिति के अनुसार)	4,19,274	94,97,021	4.415	99,16,295
कुल योग		10,11,661	6,35,54,931	1.592	6,45,66,592

****